न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः–   राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–   158 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :–   2024 / 249

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1.हीराराम पुत्र वालाराम

2.कन्दू पुत्र पावू

3.भूता पुत्र पावू

4.ज्योति बेन पुत्री तेजा भाई

5.भूरी बेन पत्नी तेजा भाई

6.हितेश भाई पुत्र तेजा भाई

प्रार्थी संख्या 4 से 6 जरिए मुख्तियार प्रार्थी संख्या 07 के नारायण भाई पुत्र तेजा भाई जाति भाट निवासी रातानाड़ा

7.नारायण भाई पुत्र तेजा भाई जाति भाट निवासी रातानाड़ा,खेड़ तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.सरोज चौधरी पत्नी अरूणकुमार जाति जाट निवासी ऑफिसर इनक्लेव कन्या नगर शिकारगढ जोधपुर

2.इकबाल खां पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति कुरेशी निवासी रातानाड़ा

3.बरगत खां पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति कुरेशी निवासी रातानाड़ा

4.बिस्मिला पत्नी मोहम्मद हुसैन जाति कुरेशी निवासी रातानाड़ा

5.इमतियाज पत्नी हसन खां जाति मुसलमान निवासी रातानाड़ा

6.बशारतअली पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी रातानाड़ा

7.सफी खां पुत्र हाजीखां जाति मुसलमानं निवासी रातानाड़ा

8.अरबाज पुत्र सतार खां

9.आमिर पुत्र सतार खां

10.मुश्ताक खां पुत्र सतार खां

11.यासीन पुत्र सतार खां

12.रजीया पुत्री सतार खां

13.रसीदा पत्नी सतार खां

14.शेरमोहम्मद पुत्र सतार खां जाति मुसलमान निवासी रातानाड़ा तहसील पचपदरा व [illegible]तरा

15.[illegible] तहसीलदार [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:53:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,120 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1960

उपस्थिति–

1. श्री ओमप्रकाश आबी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री महावीर जीनगर अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02 से 14
3. विप्रार्थी संख्या 01 व 15 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.06.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 568/290 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टयर,खसरा संख्या 289 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टयर,खसरा संख्या 290 क्षेत्रफल 0.2266 हैक्टयर,खसरा संख्या 569/290 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 568/290 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टयर,खसरा संख्या 289 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टयर,खसरा संख्या 290 क्षेत्रफल 0.2266 हैक्टयर,खसरा संख्या 569/290 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया। अधिवक्ता श्री महावीर जीनगर द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 से 14 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है,तो आपति नहीं है। विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 568/290 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टयर,खसरा संख्या 289 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टयर,खसरा संख्या 290 क्षेत्रफल 0.2266 हैक्टयर,खसरा संख्या 569/290 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:33:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 568/290 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टयर,खसरा संख्या 289 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टयर,खसरा संख्या 290 क्षेत्रफल 0.2266 हैक्टयर,खसरा संख्या 569/290 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 02 से 14 अधिवक्ता ने वहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है,तो आपति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की वहस सुनी और वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 568/290 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टयर,खसरा संख्या 289 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टयर,खसरा संख्या 290 क्षेत्रफल 0.2266 हैक्टयर,खसरा संख्या 569/290 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 04.4.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होना प्रतीत होता है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थी संख्या 01 से 14 द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जानी पर आपति नहीं की गई है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहे है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:53:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रातानाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 568/290 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टयर,खसरा संख्या 289 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टयर,खसरा संख्या 290 क्षेत्रफल 0.2266 हैक्टयर,खसरा संख्या 569/290 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 18·6·2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:53:17 IST
Reason: SelfAttested